

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./229/2012

दर्ज दिनांक:-20.07.2012

1. चिम्मन पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. चेताराम

पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

रूपेन्द्रसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA खारिज किया जाता है। पूर्व जारी एक पक्षीय T.I. दिनांक 25.11.2011 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर